



बलरामपुर पुलिस



वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था परखी

बलरामपुर। जिलेभर में बैंकों, डाकघरों, जनसेवा केंद्रों और अन्य वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए मंगलवार को अभियान चलाया गया। सभी थाना क्षेत्रों में प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी और मिशन शक्ति टीम ने वित्तीय संस्थानों के अंदर और आसपास सघन चेकिंग की।

एसपी मार्टंड प्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस टीमों ने बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे, फायर अलार्म समेत अन्य सुरक्षा उपकरणों की स्थिति जांची गई। बैंक परिसर और आसपास मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की भी तलाशी ली गई।

चेकिंग के दौरान बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों में मौजूद लोगों को साइबर ठगी से बचाव के उपाय बताए गए। पुलिस ने लोगों से बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी, ओटीपी, एटीएम पिन और पासवर्ड किसी से साझा न करने की अपील की। बैंक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही न बरतने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया। (संवाद)

लंबित विवेचनाओं के निस्तारण में देरी बर्दाश्त नहीं : सीओ

बलरामपुर। ललिया सर्किल के तीन थानों में लंबित विवेचनाओं की क्षेत्राधिकारी ललिया डीके श्रीवास्तव ने समीक्षा की। इसमें थाना हरैया, ललिया और महाराजगंज तराई के प्रभारी निरीक्षक व विवेचक शामिल हुए।

समीक्षा के दौरान 60 और 90 दिवस की लंबित विवेचनाओं, पार्ट पीआई, बरामदगी के लिए शेष अपहृत व अपहृता से संबंधित मामलों समेत अन्य लंबित विवेचनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। सीओ ने प्रत्येक मामले में अब तक की गई कार्रवाई और शेष कार्रवाई के बारे में विवेचकों से जानकारी प्राप्त की।

क्षेत्राधिकारी ने निर्देश दिया कि विवेचना के दौरान आवश्यक साक्ष्य, गवाहों के बयान, अभिलेख और दस्तावेज नियमानुसार जुटाए जाएं। आवश्यक विधिक कार्रवाई ई-साक्ष्य एप के माध्यम से पूरी करते हुए निर्धारित 60/90 दिन की समय-सीमा में विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी विवेचना में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई पूरी की जाए, ताकि पीड़ितों को समय से न्याय मिल सके। (संवाद)